मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक–सी 3/17/1/3/2011 **दिनांक 20.12.2011**

प्रति,

समस्त पदाभिहित अधिकारी

समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी

समस्त कलेक्टर (द्वितीय अपीलीय अधिकारी)

विषय– सेवा क्र. 6.2 - आय प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ– लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24.09.2011

इस सेवा का उद्देश्य आम जनता को विभिन्न प्रयोजनों जैसे शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिला, छात्रवृत्ति आदि के लिये आय प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जाना है।

आवश्यक दस्तावेज

1. आवेदक का स्वयं का शपथ-पत्र (प्रपत्र-2 में), जिसमें आय का उल्लेख किया गया हो।

सेवा प्राप्ति हेतु प्रक्रिया –

1. आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदक द्वारा संलग्न निर्धारित प्रपत्र-एक में अपना आवेदन-पत्र पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर उसे अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 (1) के अंतर्गत प्रदाय की जावेगी। अभिस्वीकृति का प्रारूप संलग्न है (प्रपत्र-चार)। यदि पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो पावती में आवेदन के निराकरण की समय-सीमा बताई जाएगी और यदि आवेदन अपूर्ण है तो जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं, उनका उल्लेख किया जायेगा, परन्तु समय-सीमा नहीं बताई जावेगी।
3. आवेदन का पंजीयन मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम-16 में निर्धारित पंजी में किया जावेगा। एक ही आवेदन को पृथक-पृथक पंजियों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा। (प्रपत्र-पांच)
4. आवेदन-पत्र लेते समय आवेदक का मोबाइल नम्बर का उल्लेख भी कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार उसे एसएमएस अलर्ट किया जा सके।
5. आवेदन-पत्र का पंजीयन राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-2, क्र.-1 की कंडिका-1 के परिशिष्ट 1 के अंतर्गत विविध सामान्य राजस्व मामले (बी-121) में होगा। प्रकरण में मूल आवेदन एवं मूल शपथ-पत्र अनिवार्यतः संलग्न रखा जायेगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं उसके साथ प्रस्तुत शपथ-पत्र की एक प्रति संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिये चस्पा की जायेगी।
6. आवेदन प्राप्त होने के पश्चात संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा नियमानुसार आवेदक को संलग्न प्रपत्र-3 में आय प्रमाण-पत्र 3 कार्य दिवस में प्रदाय किया जावेगा।
7. आय प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है और उसमें वर्णित तथ्य/संलग्न अभिलेख प्रथम दृष्टया आवेदन/शपथ-पत्र में वर्णित तथ्यों से अलग हटकर आय के अन्य स्रोतों के बारे में जानकारी दर्शित करते हैं तो आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्राधिकृत अधिकारी आय प्रमाण-पत्र/आपत्ति निरस्त कर सकेगा।

8. सुनवाई/जाँच पश्चात् शपथ-पत्र में वर्णित तथ्य असत्य पाए जाने पर प्राधिकृत अधिकारी असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुति के परिणामस्वरूप शपथकर्ता के विरुद्ध अपेक्षित विधिक कार्यवाही करेगा।

9. आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 (2) के अंतर्गत कारण अभिलिखित करते हुए आवेदक को सूचित किया जावेगा।

10. आय प्रमाण-पत्र जारी होने की दिनांक से सामान्यतः 03 वर्ष तक वैध रहेगा। आवेदक के पक्ष में जारी आय प्रमाण-पत्र में वर्णित आय कमी/बढ़ोतरी होने की स्थिति में इस आशय का आवेदन पूर्व में जारी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं प्रपत्र-दो में वर्णित शपथ-पत्र संलग्न कर प्रस्तुत किये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी आवेदक के पत्र पूर्व में जारी प्रमाण-पत्र को निरस्त करते हुये नवीन आय प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा।

11. इस सेवा के लिए संदर्भित अधिसूचना अनुसार प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं द्वितीय अपील कलेक्टर को की जावेगी।

12. प्रथम अपील के निराकरण की समय-सीमा 7 कार्य दिवस है।

13. इस विभाग द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक सी-3-11/1/3/2010, दिनांक 07 सितम्बर, 2010 निरस्त किया जाता है।

(विजया श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र. सी 3/17/1/3/2011 **भोपाल, दिनांक 20.12.2011**

प्रतिलिपि :-

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रेश शासन, मंत्रालय
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रपत्र – एक

आय प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप

प्रति,

नायब तहसीलदार/तहसीलदार

....

विषय– आय प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत्।

महोदय/महोदया,

मुझे आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है। मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है -

1. मेरा नाम : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. निवास का पूरा पता : ....
4. संलग्न शपथ-पत्र अनुसार समस्त स्त्रोत से मेरी/मेरे परिवार की वार्षिक आय : ....
5. मैंने इस आवेदन के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है।

अथवा

6. मैंने इस आवेदन के पूर्व लगभग................................समय पूर्व एक आय प्रमाण-पत्र राशि.........................रुपये वार्षिक का प्राप्त किया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि..................वार्षिक का आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु यह आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

(बिन्दु क्रमांक 5 एवं 6 में जो लागू न हो उसे काट दें।)

मेरे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता आईपीसी की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।

हस्ताक्षर.................

आवेदक का नाम ....

(परिवार से आशय पति/पत्नि एवं अवयस्क बच्चे हैं।)

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार टप्पा/तहसील...

जिला ....

प्रपत्र – दो

शपथ–पत्र

मैं .... आत्मज श्री .... आयु ....वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि -

1. मैं वर्तमान में .... में निवासरत हूँ।
2. मेरे नाम से ग्राम .... में हेक्टेयर/एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें मुझे रुपये .... शब्दों में .... की वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसाय .... है, जिसमें मुझे वार्षिक आय रुपये .... शब्दों में .... होती है।
4. गृह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये .... शब्दों में .... है।
5. मेरे परिवार के सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये .... शब्दों में .... है।
6. मैंने इस आवेदन के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है।

अथवा

7. मैंने इस आवेदन के पूर्व लगभग...........................समय पूर्व एक आय प्रमाण-पत्र राशि.........................रुपये वार्षिक का प्राप्त किया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि............................वार्षिक का आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु यह आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

   (बिन्दु क्रमांक 6 एवं 7 में जो लागू न हो उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं .... आत्मज श्री .... आयु .... वर्ष निवासी .... सत्यापन करता/करती हूं कि शपथ-पत्र की कंडिका 1/2/3/4/5/6 में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है।

सत्यापन आज दिनांक .... को स्थान ....में किया गया।

हस्ताक्षर

शपथग्रहिता

प्रपत्र–तीन

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार

टप्पा/तहसील................................जिला................................

प्र.क्र. वर्ष.............................. दिनांक...........................

आय प्रमाण–पत्र

(जारी होने की तिथि से तीन वर्ष तक मान्य)

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कु..
पिता/पति......................निवासी......................तहसील..............................जिला......................(मध्यप्रदेश) की/के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रुपये..
(शब्दों में..) है।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील .... जिला ....

प्रपत्र–चार

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 5 (1) के अंतर्गत अभिस्वीकृति का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का	....
नाम एवं पता	....
	....
1. आवेदक का नाम एवं पता	....
	....
	....
2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय	....
में आवेदन प्राप्ति का दिनांक	....
	....
3. सेवा का नाम जिसके लिये	....
आवेदन दिया गया है	
उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा	....
प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं किन्तु	....
आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं।	....
4. निश्चित की गई समय-सीमा	....
की आखिरी तारीख	....

स्थान ....   **प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर**

दिनांक ....   **नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)**

नोट – आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु-5 में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी।

प्रपत्र–पाँच

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 16 के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम ....

माह .... वर्ष ....

क्रमांक (1)	आवेदक का नाम एवं पता (2)	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है (3)	निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख (4)	आवेदन स्वीकृत/ निरस्त (5)	पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण (6)